राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 1213/2003

डॉ ए एल पंचोली, आयु 54 वर्ष, स्वर्गीय श्री के. एल. पंचोली के पुत्र, निराला मार्ग, शक्ति नगर, उदयपुर।

अब मृत (18.4.2007 को देहांत)

अपने कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा -

i. श्रीमती अंगेश पंचोली, स्वर्गीय श्री अंबालाल पंचोली की पत्नी, 57 वर्ष की आयु, निवासी- शक्ति नगर, निराला होटल, पंजाब एंड सिंध बैंक के पास, उदयपुर।

ii. स्वर्गीय श्री अंबालाल पंचोली के पुत्र लोकेश पंचोली, आयु 38 वर्ष निवासी- शक्ति नगर, निराला होटल, निकट, पंजाब और सिंध बैंक, उदयपुर।

iii. श्री लक्ष्मी नारायणजी जुनिवाल की पत्नी श्रीमती. गायत्री पंचोली, आयु 40 वर्ष, स्वर्गीय श्री अंबालाल पंचोली की पुत्री, निवासी केशव नगर, उदयपुर- वर्तमान में शक्ति नगर, निराला, होटल, पंजाब और सिंध बैंक के पास, उदयपुर।

iv. श्री राधे श्यामजी दशोरा की पत्नी श्रीमती सुनीता, पुत्र स्वर्गीय श्री अंबालाल पंचोली, आयु 36 वर्ष, निवासी गडिया देवरा सब्जी मंडी, गाचीवाड़ा, उदयपुर।

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान विद्यापीठ (मानद विश्वविद्यालय), प्रतापनगर, उदयपुर- अपने कुलसचिव द्वारा।

2. कुलपति, राजस्थान विद्यापीठ (मानद विश्वविद्यालय), प्रताप नगर, उदयपुर।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता (गण) के लिएः श्री पी. एस. चुंदावत

उत्तरदाता(गण) के लिए: श्री संजय माथुर

श्री सचिन माथुर

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

<u>03/01/2024</u>

इस याचिका का अनुकरण स्वर्गीय डॉ. ए. एल. पंचोली के कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है, जो संबंधित समय, जब उन्होंने याचिका दायर की थी, प्रतिवादी संख्या 1-विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा पारित एक आदेश से व्यथित थे, जिसमें उन्हें एक स्टॉपगैप उपाय के रूप में परीक्षा नियंत्रक के रूप में तैनात किया गया था।

2. शिकायत यह भी थी कि जहां एक ओर उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें शिक्षण सम्बन्धी कर्तव्यों से छूट दी गई थी, वहीं दूसरी ओर उन्हें आक्षेपित आदेश के अनुसार उक्त पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया था। यह स्पष्ट है कि रिट कार्यवाही विचाराधीन रहने के दौरान, प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति की मांग करने का उनका दावा पहले ही संतुष्ट हो चुका है।

3. दिनांक 26.03.2003 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता को परीक्षा नियंत्रक के रूप में उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद, प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा दायर एक आवेदन पर, इसे खाली कर दिया गया था। नतीजतन, याचिकाकर्ता ने अंतरिम संरक्षण के निर्वाह के दौरान परीक्षा नियंत्रक के रूप में काम करना जारी रखा और इस प्रकार उसने दावा किया कि उसे उक्त पद पर रहने के लिए कुछ अतिरिक्त क्षतिपूर्ति भत्तों का भुगतान किया जाना चाहिए था।

4. याचिकाकर्ता ने जोर देकर कहा कि उन्हें केवल परिवहन भत्ता दिया गया था, और उन्हें परीक्षा नियंत्रक के रूप में किए गए कर्तव्यों के लिए मुआवजा नहीं दिया गया है।

5. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान वकीलों की प्रतिद्वंद्वी दलीलें सुनी हैं।

6. मेरा विचार है कि प्रतिवादी-विश्वविद्यालय तब से अपने संगठन के ज्ञापन द्वारा शासित है, और याचिकाकर्ता की नियुक्ति उसके अनुसार की गई थी। उनकी नियुक्ति की शर्तों या संगठन के ज्ञापन में से किसी में भी यह परिकल्पना नहीं की गई है कि यदि कोई शिक्षाविद, चाहे वह अतिरिक्त सहयोगी हो या प्रोफेसर, को उनके शिक्षण सम्बन्धी कर्तव्यों के अलावा विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक बनाया जाता है, तो उन्हें अतिरिक्त वेतन का भुगतान करना होगा।

7. सुनवाई के दौरान, यह पूछे जाने पर कि संस्था के बहिर्नियम के किस प्रावधान या याचिकाकर्ता की परीक्षा नियंत्रक के रूप में नियुक्ति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है ताकि इस अदालत से अनिवार्य रिट जारी करने के लिए हस्तक्षेप की मांग की जा सके।

8. इसके विपरीत, संघ के ज्ञापन के खंड 4.3 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि विद्या पीठ विश्वविद्यालय के अधिकारी-उत्तरदाता संख्या 1 और परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय के उतने ही अधिकारी हैं जितने प्रोफेसर और विश्वविद्यालय के कुलपति। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के कुलपति को संघ के ज्ञापन के खंड 15 (बी) के तहत विश्वविद्यालय के मामलों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की सामान्य शक्ति का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय के किसी भी उपयुक्त अधिकारी को किसी भी पद पर नियुक्त करने का पूरी तरह से अधिकार है।

9. इसके अलावा, विश्वविद्यालय के नियमों को नियंत्रित करने वाले संगठन के ज्ञापन में यह भी परिकल्पना की गई है कि यदि विश्वविद्यालय की सेवा में कोई भी व्यक्ति कुलपति की किसी भी कार्रवाई से व्यथित है, तो उन्हें ऐसी कार्रवाई के खिलाफ अपील करने या विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए शिकायत मंच ऋत्विका से 30 दिनों के भीतर अपील/अभ्यावेदन दायर करने का अधिकार होगा।

10. याचिकाकर्ता, एक ओर, कोई अभ्यावेदन या अपील दायर नहीं करके परीक्षा नियंत्रक के रूप में अपनी निरंतरता को स्वीकार करता है और दूसरी ओर, अतिरिक्त वेतन की मांग कर रहा है, जिसके लिए कानून का कोई प्रावधान उसे इस तरह की राहत प्राप्त करने का अधिकार नहीं देता है।

11. फिर भी, चूंकि कानून में किसी भी प्रकार की कोई भौतिक अनियमितता नहीं दिखाई गई है, इसलिए मैं विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता द्वारा परीक्षा नियंत्रक के रूप में किए गए कर्तव्यों के लिए कोई अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश देने के लिए परमादेश जारी करने के लिए असमर्थ हूं, जैसा कि उसने दावा किया है।

12. एक परिणाम के रूप में, हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है।

13. तदनुसार बर्खास्त किया गया।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।